

राजस्थान-सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं

स्मरण पत्र-।


क्रमांक:- एफ.11(2)/मो./परिसीमन पार्ट-11/2018/126410-22 जयपुर, दिनांक: 6-7-18

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
अजमेर, चारां, बाडमेर, बीकानेर, बून्दी,
दौसा, धौलपुर, गंगानगर, जयपुर,
झुन्झुनू, जोधपुर, सीकर, उदयपुर

विषय:- बाल विकास परियोजनाओं के पुननिर्धारण बाबत।

प्रसंग :- एफ 11(2)/मो./परिसीमन/2015-16/101447 दिनांक 07.06.2018


उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 101447 दिनांक 07.06.2018 द्वारा परिशिष्ट 1,2 व 3 के अनुसार नवसृजित/संयुक्त नाम से प्रस्तावित परियोजना में जोड़े जाने वाले/हटाये जाने वाले आंगनबाडी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-4 में अंकित प्रस्तावानुसार (उल्लेखित पंचायत समिति क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए) तैयार की जानी थी। संबंधित उप निदेशक उक्त परिशिष्ट-4 के अनुसार संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-अ व ब) में एक्सलशीट (सॉफ्ट कॉपी) में केन्द्रों की सूची तैयार कर दिनांक 15.06.2018 तक निदेशालय को जरिये ई-मेल jd.m.wcd@rajasthan.gov.in भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया था। आपके जिले की उक्त सूचना अभी तक अप्राप्त है। कृपया वांछित सूचना शीघ्र ही ई-मेल पर भिजवाये।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.11(2)/मो./परिसीमन पार्ट-11/2018/126423-24 जयपुर, दिनांक: 6-7-18

1. उक्त जिलों के संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध वास्ते।


संयुक्त निदेशक (मो),